न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 41/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/ 00041)

किशन कुमार रामपुरिया खोलायत पुत्र श्री सत्यनारायण अग्रवाल (रामपुरिया) जाति अग्रवाल निवासी रामपुरा तहसील राजगढ जिला चुरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ जिला चूरू।
2. ओम प्रकाश अग्रवाल पुत्र काशीराम अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी रामपुरा हाल निवासी सी/ओ रामपुरिया ब्रोदार्स नया बाजार Khalpara सिलिगुरी।
3. सज्जन कुमार अग्रवाल पुत्र काशीराम अग्रवाल जाति निवासी रामपुरा हाल निवासी सी/ओ रामपुरिया ब्रोदार्स, नया बाजार Khalpara सिलिगुरी।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः 1. श्री राजेश कुमार अग्रवाल – अभिभाषक अपीलांट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 21–09–2021

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर चुरू के निर्णय दिनांक 05–06–2018 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट किशन कुमार ने तहसीलदार राजगढ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खोलायत पिता सत्यनारायण व उनके भाई काशीराम निवासी रामपुरा तहसील राजगढ के सहखातेदारी की कृषि भूमि गत खं. नं. 273 तादादी 22.17 बीधा, खं. नं. 289 तादादी 00.05 बीधा कुल तादादी 23.02 बीधा हाल खसरा नं. 507 तादादी 5.78 हैक्टेयर ख. नं. 543 तादादी 0.06 हैक्टेयर कुल तादादी 5.84 हैक्टेयर रोही रामपुरा तहसील राजगढ में स्थित है। उक्त भूमि मे प्रार्थी के खोलायत पिता सत्यनारायण का 1/2 हिस्सा खातेदारी का हैं। उक्त कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरकरण प्रार्थी के हक में दर्ज फरमाया जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तहसीलदार राजगढ ने अपने निर्णय दिनांक 03.04.2017 द्वारा उक्त कृषि भूमि को स्वर्जित नही होकर संयुक्त परिवार की अविभाजित, पैतृक सम्पत्ति मानते हुवे प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलान्ट ने तहसीलदार राजगढ के आदेश दिनांक 03.04.2017 के विरूद्व प्रथम अपील जिला कलक्टर चूरू में प्रस्तुत की। अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 05.06.2018 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित आदेश को यथावत रख दिया। अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 05.06.2018 के विरूद्व अपीलान्ट ने इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के निमित पहले साधारण सम्मन और उसके बाद रजिस्ट्र्ड सम्मन जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये।

4. बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए कहा कि राजगढ के सहखातेदारी की कृषि भूमि गत खं. नं. 273 तादादी 22.17 बीधा, खं. नं. 289 तादादी 0.05 बीधा कुल तादादी 23.02 बीधा हाल खसरा नं. 507 तादादी 5.78 हैक्टेयर ख. न. 543 तादादी 0.06 हैक्टेयर कुल तादादी 5.84 हैक्टेयर रोही रामपुरा तहसील राजगढ में स्थित है। उक्त कृषि भूमि सत्यनारायण व काशीराम के नाम खातेदारी की है। सत्यनारायण का दिनांक 14.12.2011 को व सत्यनारायण की पत्नी श्रीमती शकुन्तला का दिनांक 13.09.2003 को स्वर्गवास हो गया। सत्यनारायण के कोई औलाद नही थी इस कारण सत्यनारायण व उसकी पत्नी ने अपीलान्ट किशन कुमार को पैदा होते ही गोद ले लिया। इस प्रकार सत्यनारायण के एकमात्र विधिक वारिस उतराधिकारी अपीलान्ट किशन कुमार हुवे। सत्यनारायण ने अपनी समस्त अचल सम्मति के बाबत एक वसीयत पजीकृत दिनांक 09.09.2011 को निष्पादित की। इस वसीयत में वसीयतकर्ता द्वारा अपीलान्ट को दत्तक पुत्र होने का स्पष्ट उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत को फर्जी होने का कोई आरोप नही है। तहसीलदार द्वारा वसीयत पर जिस आपत्ति की जांच की गई वह आपत्ति रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रश्नगत वसीयत का एक साक्षी

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है, अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित शोक संवाद, आधार कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, जीवन बीमा, राशन कार्ड, वाहन अनुज्ञा, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड आदि दस्तावेज में अपीलान्ट की वल्दीयत से सम्बधित है। अधीनस्थ न्यायालय में एक शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित दिनांक 03.01.2008 को सत्यनारायण द्वारा प्रस्तुंत किया गया है उक्त शपथ पत्र में सत्यनारायण द्वारा स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि मेरी मृत्यु पश्चात मेरी सभी सम्पतियो का एक मात्र वारिस किशन कुमार होगा। पंजीकृत वसीयत को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे। एवं दोनो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे। कृषि भूमि खसरा नं. 273 व 289 हाल खसरा नं. 507 व 543 की खातेदार सत्यनारायण की वसीयत एव एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी वारिस होने के आधार पर अपीलान्ट के नाम से नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियो का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में यह द्वितीय अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 05.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई जिसमे अपील को खारिज करते हुए तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 03.04.2017 को यथावत रखा गया है। अपने निर्णय में अपीलान्ट को गोद पुत्र बाबत कोई प्रमाण प्रस्तुत नही करने का कथन किया है तथा आगे अपीलान्ट को गोद पुत्र होने के बाद भी उसके हक मे वसीयत करने का कोई औचित्य प्रतीत नही होना का निष्कर्ष लिया है जो कि विरोधाभाषी कथन है, साथ ही पैतृक सम्पति की वसीयत किया जाना न्यायोचित नही माना है जबकि प्रश्नगत भूमि किसी प्रकार पैतृक भूमि है उसके सम्वन्ध मे कोई निष्कर्ष नही लिया है जहा तक तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनाक 03.04.2017 का प्रश्न है पजीकृत वसीयत को साबित किये जाने हेतु गवाहान को तलब किया जाना आवश्यक हो तो न्यायालय को तलब करना चाहिये था जबकि तहसीलदार राजगढ द्वारा अपने निर्णय मे उल्लेख किया है

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कि वसीयत के साक्षीगण के बयान लेखबद्व नही करवाये गये। प्रश्नगत भूमि अविभाजित हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति के सन्दर्भ मे लिया गया निष्कर्ष भी किन दस्तावेजो के आधार पर लिया गया है स्पष्ट नही होता है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू का निर्णय दिनांक 05–06–2018 एवं तहसीलदार राजगढ का निर्णय दिनांक 03.04.2017 को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार राजस्व राजगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में विवादित भूमि की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक व स्वार्जित होने संबधी तथा वसीसत की जांच कर उभय पक्ष को सुनकर, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहै। निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर